ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 400-402

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-III, Issues-18, YEAR- Dec. -2020

ग्रामीण भारतीय कृषि श्रमिकों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभावः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ0 अमृता श्रीवास्तव Email : amrita26srivastava@gmail.com

Received- 22.11.2020, Revised- 03.12.2020, Accepted - 06.12.2020

सारांश– ***भारत गाँवों का देश है। देश की सम्पूर्ण जनसंख्या का 68.8 प्रतिशत भाग गाँवों में रहता है, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ग्रामीण भारत के सामने कुछ प्रमुख चुनौतियाँ रही है, जैसे– कृषिगत विकास, आर्थिक विकास, ग्रामीण पंचायतों की सुदृढ़ता, कृषि, श्रमिकों एवं भूमिहीन मजदूरों के लिए विभिन्न योजनाएं और सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कृषि क्षेत्र में व्याप्त जमींदारी प्रथा की समाप्ति, जोतों की चकबन्दी, भूमि सीमा का निर्धारण आदि। हरित क्रान्ति के परिणामस्वरूप कृषि में प्रौद्योगिकी, उन्नत बीजों का प्रयोग और सिंचाई व्यवस्था का दुरूस्त करके खाद्य निर्भरता के साथ – साथ ग्रामीण जीवन को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। सर्वप्रथम रॉबर्ट रेडफील्ड एवं आंद्रेबिताई के अध्ययन में ग्रामीण परिवेश को शोध के संदर्भ में ध्यान आकर्षित किया। ग्रामीण जीवन के निर्धारण में मुख्य आधार शामिल होते हैं, जैसे– प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भरता घनिष्ठ एवं प्राथमिक सम्बन्धों की प्रमुखता जनसंख्या का कम घनत्व तथा कृषि द्वारा जीवन यापन।***

कुंजीभूत शब्द–कृषि श्रमिक निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, जाति और वर्ग, रिपोर्ट।

एसोसिएट प्रोफेसर– समाजशास्त्र विभाग, डी.ए.वी.पी.जी. कॉलेज, गोरखपुर (उ0प्र0), भारत

अनुरूपी लेखक

ग्रामीण भारत की संस्कृति एवं सामाजिक संरचना दोनों कृषि और कृषक जीवन पद्धति से बहुत निकटता से जुड़ी हुई है। ग्रामीण लोगों की जीविका के स्रोत सीमित हैं, जैसे – कारीगरी या दस्तकारी (कुम्हार, बढ़ई, नाई, धोबी, लोहार एवं मोची आदि)। गाँवों की उन्नति भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारत सरकार ने गाँधी जी के आदर्श ग्राम की कल्पना को साकार करने का यथा सम्भव प्रयास किया। गाँव में शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, पेयजल आदि की व्यवस्था एवं कृषकों के लिए अनेक सुविधाएँ जैसे– अच्छे बीज, अच्छी खाद, अच्छे उपकरण एवं सुविधाजनक ऋण व्यवस्था देने का प्रबन्ध किया गया। भारत में हरित क्रान्ति की शुरूआत नार्मन ई० बोरलाग एवं एम० एस० स्वामीनाथन के प्रयासों द्वारा 1967–68 ई० में की गयी। जिसका अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्र में अधिक उपज देने वाले संकर एवं बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि हुई एवं कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाने लगा।

राज्य सरकारों को गाडगिल फार्मूले के तहत केन्द्रीय सहायता देने में भूमि सुधार को अधिक महत्व दिया जा सकता है। संविधान के 73 वें संशोधन अधिनियम लागू होने से पंचायती राज संस्थाओं के जरिये ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के आयोजन और क्रियान्वयन में आम आदमी की भागीदारी विशेष कर गरीब तबके को अपने अधिकारों के प्रति और अधिक जागरूक बनाने में सहायता की गयी।

1971 में ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रोजगार कार्यक्रम आरम्भ किये गये, जो ग्रामीण विकास की सघन योजना कहलायी। 1989 में जवाहर रोजगार योजना आरम्भ की गयी, फिर 2001 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आरम्भ की गयी। 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 200 पिछड़े जिलों में आरम्भ की गयी। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करना चाहते हैं, एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन का गारण्टीयुक्त रोजगार प्रदान करने के अतिरिक्त इसका लक्ष्य मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के माध्यम से सूखें एवं भू – क्षरण के कारणों का निवारण करतेहुए ग्रामीण अधोसंरचना को विकसित करना था। 1 अप्रैल 2008 को इसमें शेष 266 जिलों को भी शामिल कर लिया गया। 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना का नाम 'मनरेगा' कर दिया गया। मनरेगा ग्रामीण गरीबों का सकारात्मक प्रभाव तथा उनकी दशा में बेहतरी को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस अधिनियम के बाद भूमि की उत्पादकता में सुधार एवं कृषि श्रमिकों में कमी स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब पिछड़े, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों के साथ – साथ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे कृषि श्रमिकों के परिवारों की कृषि जोतों पर भूमि विकास, बागवानी, वृक्षारोपण एवं लघु 4 सिंचाई से सम्बन्धित कार्यों की अनुमति दे दी गयी। जिसके द्वारा कृषि उत्पादकता को मजदूरी रोजगार से सीधा जोड़ दिया गया।

आंद्रे बेताई ने कास्ट क्लास एण्ड पावर (1996) में लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाति और वर्ग के सम्बन्ध बड़े जटिल होते हैं। सामान्यतया भू– स्वामियों के समूह में ऊँची, मध्यम जाति के लोग आते हैं तथा अधिकांश सीमांत किसान और भूमिहीन श्रमिक निम्न जाति समूह

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-III, Issues-18, YEAR- Dec. -2020

के होते हैं। गाँव में लम्बे समय तक बेगारी एवं बंधुआ मजदूरी की प्रथा थी। खेतिहर लोग स्वयं काम नहीं करते हैं। वर्तमान में गाँव का गरीब श्रमिक शहरों में मेहनत मजदूरी करना ज्यादा पसन्द करता है बजाय गाँव में मजदूरी के पिछले 73 सालों में भारत के गाँव में अभूतपूर्व परिवर्तन आया, जैसे– नातेदारी व्यवस्था की महत्ता में कमी, सिमटती जजमानी प्रथा, जीवन स्तर में बदलाव, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना आदि। अतः स्पष्ट है कि भारतीय गाँव एक स्थिर समुदाय नहीं है। चार्ल्स मेटकॉफ के अनुसार, ''जहाँ अन्य सभी कुछ बदल रहे हैं, वहाँ देहात स्थिर मालुम पड़ते हैं।'' गलत साबित हो रहा है। भारतीय गाँव संक्रमण काल से गुजर रहे है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से प्राचीन सामाजिक सम्बन्ध एवं बन्धन समाप्त हो रहे हैं। वर्ष 2018 में 131 करोड़ लोगों में से लगभग 45 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। यह आबादी अधिकांश गाँवों में रहती है। हमारे गाँव में सबसे बड़ी समस्या गरीबी है। छोटे किसान बड़े किसानों पर निर्भर होकर हमेशा कर्जदार बने रहते हैं। जनसंख्या में वृद्धि के कारण जमीन का बँटवारा भी होता जा रहा है। ग्रामीण भारत में निरक्षरता के कारण गरीबों का कुचक्र टूट नहीं पा रहा है। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत कमी है। ग्रामीण नई– नई तकनीकों को बहुत धीमी गति में अपना रहे हैं। पहली कृषि श्रम जाँच समिति (1950–51) ने कहा कि कृषि श्रमिक वह श्रमिक होते हैं जो मजदूरी के भुगतान के बदले फसल उगाते हैं। साथ ही यह भी कहा कि उन लोगों को कृषि श्रमिक के रूप में माना जाना चाहिए, जो 50 प्रतिशत या उससे अधिक दिन के लिए मजदूरों के भुगतान पर काम करते हैं। समिति ने कृषि श्रमिकों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया, पहला संगठित मजदूर व दूसरा असंगठित मजदूर संगठित मजदूर वो होते हैं, जो कृषक घर से किसी लिखित या मौखिक समझौते के तहत जुड़े होते है द्य उनके लिए रोजगार स्थायी और नियमित होता है। आकस्मिक मजदूरों की बात करे तो वे किसी भी किसान के खेत पर काम करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और उनका भुगतान आमतौर पर प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है। दूसरी कृषिश्रम जाँच समिति (1958–57) ने कृषि श्रमिकों का दायरा बढ़ाते हुए इसमें खेतों में कम करने वालों के अलावा उन लोगों को भी शामिल किया जो पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन सुअर पालन आदि दूसरे तरह के कार्यों में लगे हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि घरों में काम करने वाले श्रमिक भी इस दायरे में आते हैं। अतः यह तय हुआ कि जो मजदूर अपनी आय का कम से कम 50 प्रतिशत या अधिक आय कृषि क्षेत्र में काम करके प्राप्त करता है, तभी उसे कृषि श्रमिक की परिभाषा के अन्तर्गत माना जायेगा। द्वितीय कृषि श्रमिक जाँच समिति ने कृषि श्रमिकों की परिभाषा देते हुए लिखा है कि – ''कृषि श्रमिक वह है जिसकी आय का मुख्य साधन कृषि से प्राप्त मजदूरी है। ''राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार'' कृषि श्रमिक वह है जो मूलतः अकुशल और अव्यवस्थित है और जिसके पास जीविकोपार्जन के लिए अपने श्रम के अतिरिक्त लगभग और कुछ नहीं होता है। ''एग्रीकल्चरल लेबर जागरण जोश (25 मार्च 2016) के अनुसार– ''कृषि मजदूर वह श्रमिक है, जो खेती से सम्बन्धित कार्यों जैसे– खेत जोतना, फसल काटना, बागवानी करना पशुओं को पालना, मधुमक्खियों और मुर्गी पालन के प्रबन्धन और वन्य जीवन से जुड़े कार्यों में लगा होता है द्य कृषि मजदूर असंगठित क्षेत्र में आते हैं

भारत एक कृषि प्रधान देश है। अर्थात हमारे देश की 54 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों से अपना जीवन यापन करती है, परन्तु कृषि कार्यों को आधुनिक भारत में पेशे का स्वरूप न देकर इसे मौसमी कार्यों का स्वरूप दिया गया है। अर्थात एक ग्रामीण अपनी कृषि के कार्यों के पश्चात् बेरोजगारी का सामना करता है और यही से गरीबी की ओर अग्रसर होता जाता है। गरीबी अथवा निर्धनता के सामाजिक अवस्था को मापने का समय– समय पर प्रयास होता रहा है। विकासशील देशों के सम्बन्ध में ऐसा पहला प्रयास मानव विकास रिपोर्ट में मिलता है। डांडेकर फार्मूला (पावर्टी इन इंडिया 1971) द्वारा निर्धनता का निर्धारण कैलोरी की मात्रा के आधार पर किया गया है, जिसमें भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। वर्तमान समय में विकासशील देशों के लिए बहु आयामी निर्धनता सूचकांक (ड.च्ए) का उपयोग किया जा रहा है। जिसमें निर्धनता का मापन करने के लिए केवल धन का अभाव को ही पर्याप्त नहीं माना गया। इस सूचकांक में मानसिक स्वास्थ्य बुनियादी सुविधा, जैंडर, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को सूचकांक में शामिल किया गया है।

टु वर्ड ए न्यू पॉवर्टी एजेण्डा इन एशिया (2010) पुस्तक जो अर्जुन देहान के द्वारा लिखित है एशिया में बहुत तेजी से बदलते हुये आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों एवं वैश्वीकरण में सामाजिक नीतियों की भूमिका के बारे में वर्णन करती है। इसमें भिन्न– भिन्न देशों की सामाजिक नीतियों की तुलना पूर्वी एशिया (चीन, इण्डोनेशिया, वियतनाम) और दक्षिणी एशिया (इण्डिया, बांग्लादेश, श्रीलंका) के देशों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। लेखक एक विस्तृत क्षेत्र को समाहित करते हुये समानता और विभिन्नता की चर्चा करता

PIF-7.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-III, Issues-18, YEAR- Dec. -2020

है।

ह्यूमन राइट्स एण्ड इक्सट्रीम पॉवर्टी (2010) में अर्जुन सेन गुप्ता ने अति गरीबी (म्जतमउम च्वअमतजल) की व्याख्या इनकम पॉवर्टीपॉवर्टी, ह्यूमन डेवलपमेन्ट पॉवर्टी और सोशल इक्सक्लूसन (वबपंस म्नबसनेपवद) के संदर्भ में की गयी है। संक्षेप में गरीबी की व्याख्या इन तीन संदर्भों में बाँटकर किया गया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिंहय कटार (2011): ग्रामीण विकास : सिद्धान्त, नीतियां एवं प्रबन्ध, रावत पब्लिकेशन जयपुर।

2. शर्माय के० एल० (2006): भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन रावत पब्लिकेशन, जयपुर।

3. थार्नर डेनियल (1964) एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव इण्डिया, एशिया पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली।

4. बेतेईय आन्द्रे (1971) कास्ट क्लास एण्ड पॉवर चेंजिग पैट्नर्स ऑफ स्ट्राटिफिकेशन इन ए तंजौर विलेज, युनिवर्सिटी ऑफ कैलफोनिया प्रेस बेरकेली।

5. देसाई ए० आर० (1978) रूरल सोशालॉजी इन इण्डिया, पापुलर प्रकाशन बाम्बे।

6. दुबेय एस० सी० (1958) इंडियाज चेंजिग विलेजेज, फर्स्ट पब्लिशिंग न्यूयार्क।

7. भारत ग्रामीण विकास रिपोर्ट (2012–13) आई० डी० एफ० सी०, नई दिल्ली, ओरिएंट ब्लैकस्वॉन प्राइवेट लिमिटेड।

8. भारतीय सतत् गरीबी रिपोर्ट (2012) गतिशील संदर्भ में नये समाधानों और समझौतों की ओर नई दिल्ली, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान।

9. कृषि श्रम जाँच समिति रिपोर्ट 1950–51 एवं 1956–57, भारत सरकार, नई दिल्ली।

10. डांडेकर, वी० एम० (1971) पावर्टी इन इंडिया इकोनामिक एण्ड पोलिटकल वीकली, नई दिल्ली।

11. देहान, अर्जुन (2010), टु वर्ड ए न्यू पॉवर्टी एजेण्डा इन एशिया।

12. गुप्ता, अर्जुन सेन (2010) ह्यूमन राइट्स एण्ड इक्सट्रीम पॉवर्टी।

*****